बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026

1. प्रस्तावना और नीति संदर्भः

1.1. पृष्ठभूमि

सेमीकंडक्टर आधुनिक प्रौद्योगिकी के केंद्र में हैं। ये स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे आवश्यक प्रणालियों को शक्ति प्रदान करते हैं। वर्तमान में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी हैं। इन देशों ने घरेलू चिप निर्माण को समर्थन देने तथा किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु राष्ट्रीय रणनीतियाँ प्रारंभ की हैं। इस वैश्विक परिवर्तन में भारत एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। भारत का चिप बाजार तीव्र गति से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक इसके 100–110 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तथा "सात निश्चय 3.0 – तृतीय एजेंडा : समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार" की परिकल्पना द्वारा निर्देशित होकर राज्य को पूर्वी भारत के तकनीकी केंद्र (ईस्टर्न टेक हब) के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

इस नीति के माध्यम से राज्य एक सतत एवं नवाचार–प्रेरित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का लक्ष्य रखता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक आर्थिक विकास (समृद्धि) को बढ़ावा देने, बिहार के युवाओं के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने, राज्य के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास उद्देश्यों के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया है।

1.2. रणनीतिक क्षेत्र

सेमीकंडक्टर क्षेत्र बिहार और भारत दोनों के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व का है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं, उन्नत विनिर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों को आधार प्रदान करने वाली मौलिक तकनीक हैं। दूरसंचार, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों तक, सेमीकंडक्टर हर उच्च–विकास और उच्च–प्रभाव वाले क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं।

सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन (मूल्य श्रृंखला) में बिहार का प्रवेश उच्च–मूल्य, तकनीक–गहन विनिर्माण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य को औद्योगिक विकास के चरणों में लंबी छलांग लगाने, दीर्घकालिक तकनीकी क्षमताएं बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। यह क्षेत्र सतत रोजगार सृजन, नवाचार–आधारित विकास और औद्योगिक विविधीकरण की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है, साथ ही बिहार को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप–टेक परिदृश्य में एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

बिहार के लिए रणनीतिक महत्व :

- तकनीक–संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन
- शिक्षित युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार
- बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) पर रोक
- जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) गुणक प्रभाव
- वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण
- पूर्वोत्तर राज्यों और सार्क (SAARC) बाजारों की सेवा के लिए रणनीतिक स्थान
- इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के लिए उच्च उपभोक्ता बाजार

1.3. नीति संरेखण

यह नीति इनके साथ संरेखित है:

- सात निश्चय 3.0 – तीसरा एजेंडा: समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार
- स्टार्टअप बिहार
- बिहार कौशल विकास मिशन
- भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) – केंद्र सरकार
- मेक इन इंडिया – राष्ट्रीय विनिर्माण पहल
- आत्मनिर्भर भारत – आत्मनिर्भरता मिशन
- डिजिटल इंडिया – प्रौद्योगिकी परिवर्तन कार्यक्रम

1.4. नीति की अवधि

(क) बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

(ख) यह नीति अपनी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक, या किसी अन्य नीति द्वारा अधिक्रमित या प्रतिस्थापित होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। बिहार सरकार किसी भी समय इस नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने, बदलाव करने या उन्हें वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(ग) इस नीति के तहत किसी भी शब्द की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह और/या किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन या संचालन से संबंधित किसी भी विवाद को

स्पष्टीकरण और समाधान के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजा जाएगा। इस संबंध में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित हितधारकों पर बाध्यकारी होगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 4 के अनुसार है।

(घ) प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधा उपायों सहित इस नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जहां भी आवश्यक हो, विस्तृत परिचालन दिशानिर्देशों और/या वैधानिक अधिसूचनाओं के जारी होने के अधीन होगा।

(ड.) स्थिरता गारंटीः इस नीति के तहत स्वीकृत प्रोत्साहन सुरक्षित रहेंगे और नीति के नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, संपूर्ण अनुमोदित अवधि के लिए लागू होंगे।

2. विजन, मिशन और उद्देश्यः

2.1. ''बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026'' विजन

''वर्ष 2030 तक बिहार को पूर्वी भारत के ''टेक हब'' के रूप में स्थापित करना, सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, साथ ही समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और बिहार के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार पैदा करना।''

2.2. मिशन

पाँच–सूत्रीय मिशनः

1. **निवेश आकर्षणः** नीति अवधि के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ₹25,000 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश सुरक्षित करना।
2. **रोजगार सृजनः** उच्च–मूल्य वाले सेमीकंडक्टर और सहायक उद्योगों में 2,00,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना।
3. **क्षमता निर्माणः** समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक साझेदारियों के माध्यम से 50,000 से अधिक सेमीकंडक्टर पेशेवरों का कुशल कार्यबल विकसित करना।
4. **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रः** IIT पटना में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से स्टार्टअप्स द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार को बढ़ावा देना।
5. **सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकासः** क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण, डिजाइन, उपकरण, सहायक सामग्री, परीक्षण और आपूर्ति–श्रृंखला लिंकेज को शामिल करते हुए एक एकीकृत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

2.3. उद्देश्य

2.3.1 आर्थिक उद्देश्य

- भारत में पसंदीदा सेमीकंडक्टर विनिर्माण गंतव्यों के बीच बिहार को स्थान दिलाना।
- 2030 तक बिहार के GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का 5% योगदान हासिल करना।
- प्रत्येक ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 3 प्रमुख फैब (Fab)/ATMP इकाइयों को आकर्षित करना।

2.3.2 तकनीकी उद्देश्य

- स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण (Fabrication) क्षमताएं स्थापित करना।
- उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना।
- कंपाउंड सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- 10+ डिजाइन हाउस के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले परीक्षण और विश्वसनीयता केंद्र बनाना।

2.3.3 सामाजिक उद्देश्य

- उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना।
- सेमीकंडक्टर इकाइयों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना।
- महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- आईटीआई (ITI) से लेकर उन्नत इंजीनियरिंग तक कौशल विकास के रास्ते बनाना।
- बिहार को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

2.3.4 पर्यावरणीय उद्देश्य

- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ हरित सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुनिश्चित करना।
- जल पुनर्चक्रण (Water Recycling) को बढ़ावा देना।
- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

3. परिभाषाएं:

इस नीति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(क) सेमीकंडक्टर फैब (फैब्रिकेशन यूनिट): एक ऐसी सुविधा जो एकीकृत परिपथ (Integrated Circuits) बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफी, एचिंग, डिपोजिशन और अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग करके सेमीकंडक्टर वेफर्स के निर्माण में लगी हुई है।

(ख) ATMP (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग): एक ऐसी सुविधा जो सेमीकंडक्टर डाई (Die) को अंतिम उत्पादों में असेंबल करती है, परीक्षण करती है, मार्क करती है और पैक करती है।

(ग) OSAT (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट): तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता जो फैबलेस और एकीकृत उपकरण निर्माताओं को ATMP सेवाएं प्रदान करते हैं।

(घ) कंपाउंड सेमीकंडक्टर: दो या दो से अधिक तत्वों से बनी सेमीकंडक्टर सामग्री, जिसमें गैलियम नाइट्राइड (GaN), सिलिकॉन कार्बाइड (SiC), गैलियम आर्सेनाइड (GaAs), और इंडियम फॉस्फाइड (InP) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(ड़) डिस्प्ले फैब: एलसीडी (LCD), ओलेड (OLED), एमोलेड (AMOLED), मिनी–एलईडी और माइक्रो–एलईडी डिस्प्ले सहित डिस्प्ले पैनल के लिए विनिर्माण सुविधा।

(च) सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयां: एकीकृत परिपथों (integrated circuits) को डिजाइन करने, बौद्धिक संपदा (IP) कोर विकसित करने और डिजाइन सेवाएं प्रदान करने में लगी कंपनी।

(छ) टेक्नोलॉजी नोड: सेमीकंडक्टर में एक टेक्नोलॉजी नोड चिप विनिर्माण की एक पीढ़ी है, जिसे ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों के आकार और जटिलता द्वारा परिभाषित किया जाता है। छोटे नोड्स अधिक उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ज) अनुमोदित परियोजना लागत: इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी के अलावा प्रोत्साहन की गणना के उद्देश्य से, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार एसआईपबी (SIPB) द्वारा अंततः अनुमोदित परियोजना लागत होगा। अनुमोदित परियोजना लागत प्रोत्साहन निर्धारित करने का आधार होगी।

(झ) अचल पूंजी निवेश: अचल पूंजी निवेश में भूमि (भूमि को छोड़कर अचल पूंजी निवेश का अधिकतम 20%), संयंत्र और मशीनरी, विद्युत प्रतिष्ठान और इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी संपत्तियों में निवेश शामिल है, लेकिन इसमें कार्यशील पूंजी की लागत, आकस्मिकताएं, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज और कोई अन्य अस्पष्टीकृत लागत घटक शामिल नहीं होंगे।

(ञ) बिहार सेमीकंडक्टर मिशन (BSM): शासन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए इस नीति के तहत गठित शीर्ष निकाय।

(ट) उत्पादन की तिथि (DOP): एक औद्योगिक इकाई के लिए ''उत्पादन की तिथि'' का अर्थ वह तिथि होगी जिस दिन इकाई वास्तव में उस वस्तु का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करती है जिसके लिए इकाई पंजीकृत की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के उत्पादन की तिथि के संबंध में, संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (DIC) या प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। बड़े उद्योगों के लिए, निदेशक एमएसएमई (MSME) द्वारा जारी प्रमाण

पत्र स्वीकार्य होगा। उत्पादन की तिथि के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ठ) अल्ट्रा–प्योर वाटर (UPW): 25°C पर 18.2 MΩ.cm की प्रतिरोधकता वाला पानी, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।

यहाँ विशेष रूप से उल्लिखित नहीं की गई परिभाषाओं का वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में है।

4. सामान्य पात्रता दिशा–निर्देश:

- इस नीति के तहत प्रोत्साहन केवल राज्य के भीतर किए गए निवेश के लिए लागू होंगे।
- किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई परियोजना, जिसे भारत सरकार के 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' की निम्नलिखित में से किसी भी योजना के तहत योग्य माना गया है, इस नीति के तहत पात्र होगी :

(क) भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की योजना

(ख) भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने की योजना

(ग) भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) OSAT सुविधाएं स्थापित करने की योजना

(घ) भारत सरकार की ऐसी कोई अन्य योजना

- कोई भी इकाई जो किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण करती है, जिसमें विनिर्माण गतिविधि मूल्य संवर्धन (Value Addition) में योगदान नहीं देती है, उसे इस नीति के तहत विचार नहीं किया जाएगा। केवल व्यापारिक गतिविधियों (Trading Activities) में शामिल इकाइयां इस नीति के दायरे में नहीं आएंगी।
- व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों आदि द्वारा प्रवर्तित इकाइयां, जिन्हें अतीत में किसी भी समय सरकार (राज्य या केंद्र) द्वारा काली सूची (Blacklist) में डाला गया था, इस नीति के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों आदि द्वारा प्रवर्तित इकाइयां, जिन्होंने अतीत में किसी भी समय किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों (FIs) से लिए गए किसी भी ऋण में चूक (Default) की है या सरकार को कोई बकाया देय है, इस नीति के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- कार्यान्वयन के दौरान नीति में संशोधन और बदलाव किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे सभी संशोधन और बदलाव भविष्य की तिथि से लागू किए जाएंगे और नीति के तहत पहले से दिए गए किसी भी लाभ या रियायत में कटौती नहीं करेंगे।
- इस नीति की अधिसूचना के बाद इकाई/इकाइयों के पास बिहार का जीएसटी (GST) पंजीकरण होना अनिवार्य है।

5. सेमीकंडक्टर फैब इकाइयों, डिस्प्ले फैब इकाइयों, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयों और ATMP/OSAT इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन :

किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर फैब इकाइयाँ, डिस्प्ले फैब इकाइयाँ, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयाँ और ATMP/OSAT इकाइयाँ, जो भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत योग्य पाई गई हैं, इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

5.1. पूंजीगत सब्सिडी

पात्र इकाइयों को बिहार सरकार द्वारा निम्नानुसार पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी :

क्र0	इकाइयों का प्रकार	पूंजीगत अनुदान
1	सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयां	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता का 60%
2	डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयां	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता का 60%
3	कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स/ सेंसर्स फैब/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग / मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP)/ आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर्स असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधाएं	भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) सहायता का 60%

वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा जारी की गई सहायता राशि के हिस्से और उसी के 'Pari Passu' (समान अनुपात) के आधार पर जारी की जाएगी।

5.2. भूमि संबंधी प्रोत्साहन

5.2.1. अनुमोदित परियोजना लागत के प्रत्येक ₹100 करोड़ के लिए, बिहार सरकार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) के माध्यम से उपलब्धता और BIADA भूमि आवंटन नीति के अनुसार लागू नियमों और शर्तों के अधीन, ₹1 की टोकन राशि पर 1 एकड़ भूमि प्रदान करेगी। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि BIADA की निर्धारित दर के 50% पर प्रदान की जाएगी।

5.2.2. इस नीति के तहत अनुमोदित परियोजनाओं/इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क और भूमि परिवर्तन (Land Conversion) से छूट बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अनुसार होगी।

स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क से छूट	(क) सरकार द्वारा IDA/BIADA को आवंटित भूमि के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। (ख) औद्योगिक भूमि/शेड के पट्टे (समेंम)/बिक्री/हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाली जमीनों पर भी सभी नई इकाइयों को यह छूट उपलब्ध होगी। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की यह छूट केवल पहली बार दी जाएगी और बाद के चरणों में लागू नहीं होगी। (ग) भूमि/शेड/भवनों के पट्टे (Lease) के साथ–साथ बंधक (Mortgages) और गिरवीनामा (hypothecations deeds) के लिए स्टाम्प शुल्क में 100% छूट। (घ) इकाई द्वारा आवश्यक भूमि के क्षेत्र का पूर्ण विवरण डीपीआर (DPR) और/या बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में होना चाहिए, जो इकाई को सावधि ऋण (Term Loan) प्रदान करने वाला है।
भूमि सम्परिवर्तन शुल्क	कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए लगाए जाने वाले ''भूमि सम्परिवर्तन शुल्क''/''भूमि उपयोग में परिवर्तन'' शुल्क से 100% छूट।

5.3. बिजली शुल्क सब्सिडी

सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिचालन लागत सुनिश्चित करने हेतु, पात्र इकाइयाँ निम्नलिखित में से किसी भी वार्षिक बिजली शुल्क सब्सिडी का विकल्प चुन सकती हैं:

5.3.1. ₹5 प्रति यूनिट का विशेष बिजली शुल्क। **अथवा**

5.3.2. संधारणीय और हरित औद्योगिक परिचालन को बढ़ावा देने के लिए, पात्र इकाइयों को ओपन एक्सेस तंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। गैर–नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद के लिए 20% तक की सहनशीलता सीमा (Tolerance Limit) की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, 100% लागू क्रॉस सब्सिडी अधिभार (CSS) और व्हीलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी।

ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद से संबंधित इस नीति के प्रावधान भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 और भारत सरकार के विद्युत (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 द्वारा शासित होंगे, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया हो।

बिजली शुल्क सब्सिडी पात्र इकाइयों को उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य पात्र परियोजनाओं/इकाइयों को निम्नलिखित आधारभूत संरचना सहायता प्रदान करेगा:

- विद्युत अवसंरचना सब्सिडी : इस नीति के विद्युत अवसंरचना सब्सिडी प्रावधानों के अंतर्गत, पात्र इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत के अनुसार अनुमोदित विद्युत आवश्यकता के तहत विद्युत अवसंरचना के विकास पर किए गए वास्तविक व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली : ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, पात्र इकाइयों को कैप्टिव सोलर पावर इंस्टॉलेशन पर स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत की 50% कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ होगी।
- हालांकि, कोई भी इकाई एक ही घटक या खर्च के लिए एक से अधिक योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी। जहाँ किसी निवेश घटक को भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत प्रोत्साहन गणना (Incentive Computation) के लिए माना गया है, वह घटक बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 2026 के तहत कैपिटल सब्सिडी या किसी अन्य प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि भारत सरकार से कैपिटल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट लागत के हिस्से के रूप में पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में निवेश को शामिल किया गया है, तो इकाई को इस पॉलिसी के तहत उन्हीं घटकों के लिए प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.4. जल संबंधी सब्सिडी

राज्य सरकार उनके संबंधित परियोजना स्थलों पर पात्र सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को निर्बाध और पर्याप्त पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, पात्र इकाइयों को निम्नलिखित जल–संबंधी प्रोत्साहन दिए जाएंगे:

- रियायती दर पर अनुपचारित जल की आपूर्ति:

अनुपचारित जल की आपूर्ति उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 4 प्रति घन मीटर की रियायती दर पर की जाएगी।

- जल उपचार आधारभूत संरचना सहायता:

उच्च गुणवत्ता वाले, टिकाऊ और फैब–ग्रेड जल प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की सुविधा के लिए, पात्र इकाइयों को जल उपचार और प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना की लागत पर 50% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति इकाई अधिकतम ₹ 50 करोड़ की सीमा के अधीन होगी।

5.5. ब्याज सब्सिडी

पात्र सेमीकंडक्टर इकाइयों को अनुसूचित बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों से लिए गए सावधि ऋण (Term Loans) पर उत्पादन की तिथि से सात वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम ₹ 25 करोड़ प्रति वर्ष तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

5.6. निर्मित उत्पादों की बिक्री पर शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति :

- पात्र सेमीकंडक्टर इकाइयाँ उत्पादन की तिथि से राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए स्वीकार्य SGST (शुद्ध व्यापारिक व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले किसी भी कर को छोड़कर) की 100% प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की हकदार होंगी।
- यह प्रतिपूर्ति अनुमोदित परियोजना लागत की अधिकतम 100% की सीमा तक होगी।
- SGST प्रतिपूर्ति केवल इस नीति के कार्यान्वयन की तिथि से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध IGST और SGST क्रेडिट के समायोजन के बाद देय शुद्ध कर पर लागू होगी। यह प्रतिपूर्ति पात्र इकाइयों को उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों तक BIIPP–2025 के नियमों और शर्तों के अनुसार देय होगी।

5.7. सेमीकंडक्टर अनुसंधान, नवाचार और IP प्रोत्साहन :

(क) शैक्षणिक संस्थान में R&D केंद्रः

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार्टअप्स द्वारा सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए IIT पटना में क्लीन रूम सुविधा के साथ सेमीकंडक्टर R&D केंद्र स्थापित किया है।

(ख) पेटेंट फाइलिंग प्रोत्साहनः

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार पात्र इकाइयों को निम्नलिखित पेटेंट–संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

भारतीय पेटेंटः

- भारत में पेटेंट फाइल करने, अभियोजन (Prosecution) और रखरखाव पर होने वाली लागत की 75% प्रतिपूर्ति।
- प्रति इकाई ₹10 लाख की संचयी सीमा के अधीन।
- पात्र इकाई द्वारा दायर किए गए सभी सेमीकंडक्टर–संबंधित पेटेंट पर लागू।

अंतरराष्ट्रीय पेटेंटः

- विदेशी पेटेंट आवेदनों के लिए पेटेंट फाइलिंग और अभियोजन पर होने वाली लागत की 75% प्रतिपूर्ति।
- प्रति इकाई ₹ 20 लाख की संचयी सीमा के अधीन।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन सहित प्रमुख वैश्विक क्षेत्राधिकारों में दायर पेटेंट आवेदनों पर लागू।

5.8. कौशल विकास और प्रशिक्षण सहायता :

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थानीय रोजगार और कुशल कार्यबल के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार पात्र इकाइयों द्वारा किए गए पात्र प्रशिक्षण खर्चों की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति केवल उन कर्मचारियों के संबंध में स्वीकार्य होगी जो बिहार राज्य के निवासी हैं, और जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तों, दस्तावेजों और सत्यापन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

- वित्तीय सीमाः प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी (**जो बिहार राज्य का निवासी है**) ₹ 20 हजार तक सीमित होगी।
- कवरेजः यह प्रोत्साहन पहले 1,000 कर्मचारियों के लिए लागू होगा।

6. सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनः

एकीकृत परिपथ (ICs), चिपसेट्स, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन इकाइयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

- न्यूनतम अचल पूंजी निवेश ₹ 5 करोड़ होना चाहिए।
- किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई परियोजना/इकाई जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार की 'सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव' योजना या MeitY की ऐसी किसी अन्य योजना के तहत योग्य माना गया है, वह इस नीति के तहत पात्र होगी।

6.1. उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन

सेमीकंडक्टर डिजाइन गतिविधियों में लगी पात्र इकाइयों को, जिसमें एकीकृत परिपथ (ICs), चिपसेट्स, सिस्टम–ऑन–चिप (SoCs), सिस्टम और आईपी कोर और अन्य सेमीकंडक्टर–लिंक्ड डिजाइन सुविधाएं शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पात्र व्यय का 20% अतिरिक्त प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो बिहार सरकार द्वारा प्रति इकाई अधिकतम ₹ 15 करोड़ के प्रोत्साहन के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त, जहाँ कोई इकाई अपने कुल कार्यबल का 70% से अधिक बिहार के स्थायी निवासियों को नियोजित करती है, ऐसी इकाई भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे पात्र व्यथय के 5% के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी, जो अधिकतम ₹ 5 करोड़ तक होगा।

6.2. पट्टा किराया सब्सिडी

पट्टे पर लिए गए कार्यालय/वाणिज्यिक स्थान से संचालित होने वाली पात्र इकाइयों को भुगतान किए गए पट्टा किराया राशि के 50% के पट्टा किराया प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यह पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

(क) कार्यालय स्थान बिहार राज्य में स्थित होना चाहिए।

(ख) प्रति कर्मचारी कार्यालय स्थान 120 वर्ग फुट सुपर बिल्ट–अप क्षेत्र से अधिक नहीं माना जाना चाहिए।

(ग) इस प्रोत्साहन गणना के उद्देश्य से, पट्टा दर नीति अधिसूचना वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 55 प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक सीमित होगी और यह सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹ 2.50 बढ़ जाएगी।

6.3. बिजली शुल्क सब्सिडी

पात्र सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयों को उत्पादन की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा बिल के 25% की वार्षिक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इस मामले में ''ऊर्जा बिल'' में फिक्स्ड चार्ज, ऊर्जा शुल्क और बिजली शुल्क शामिल हैं, जिसमें कोई भी लागू छूट/विलंब शुल्क शामिल नहीं है।

6.4. पेटेंट फाइलिंग प्रोत्साहन

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार पात्र इकाइयों को निम्नलिखित पेटेंट–संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

भारतीय पेटेंट:

- भारत में पेटेंट फाइल करने, अभियोजन (Prosecution) और रखरखाव पर होने वाली लागत की 75% प्रतिपूर्ति;
- प्रति इकाई ₹10 लाख की संचयी सीमा के अधीन; और
- पात्र इकाई द्वारा दायर किए गए सभी सेमीकंडक्टर–संबंधित पेटेंट पर लागू।

अंतरराष्ट्रीय पेटेंट :

- विदेशी पेटेंट आवेदनों के लिए पेटेंट फाइलिंग और अभियोजन पर होने वाली लागत की 75% प्रतिपूर्ति;
- प्रति इकाई ₹ 20 लाख की संचयी सीमा के अधीन; और
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन सहित प्रमुख वैश्विक क्षेत्राधिकारों में दायर पेटेंट आवेदनों पर लागू।

6.5. कौशल विकास और प्रशिक्षण सहायता :

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थानीय रोजगार और कुशल कार्यबल के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार पात्र इकाइयों द्वारा किए गए पात्र **प्रशिक्षण खर्चों की 100% प्रतिपूर्ति** प्रदान करेगी। **ऐसी प्रतिपूर्ति केवल उन कर्मचारियों के संबंध में स्वीकार्य होगी जो बिहार राज्य के निवासी हैं**, और जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तों, दस्तावेजों और सत्यापन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

- वित्तीय सीमा: प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी (**जो बिहार राज्य का निवासी है**) ₹ 20 हजार तक सीमित होगी।
- कवरेज: यह प्रोत्साहन पहले 1,000 कर्मचारियों के लिए लागू होगा।

7. भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत अनुमोदित इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन :

बिहार में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना इकाई स्थापित करने के लिए पात्रता मानदंडः

(i) लक्षित क्षेत्र, कुछ लक्षित क्षेत्रों के तहत कवर किए गए उत्पाद, संचयी वृद्धिशील निवेश सीमा, वृद्धिशील बिक्री सीमा और संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा और अन्य पात्रता मानदंड MeitY, भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना द्वारा परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार होंगे, जो 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित और 7 जुलाई 2025 के संशोधन और उसके बाद, जैसा और जब लागू हो, के अनुसार होंगे।

(ii) किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई परियोजना जिसे MeitY, भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत योग्य माना गया है, वह इस नीति के तहत पात्र होगी।

7.1. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत केंद्र सरकार से जुड़ा प्रोत्साहन

बिहार सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत किसी भी श्रेणी में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन का अतिरिक्त 20% प्रदान करेगी।

इसके अलावा, जहाँ कोई इकाई अपने कुल कार्यबल का 70% से अधिक बिहार के स्थायी निवासियों को नियोजित करती है, ऐसी इकाई भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 5% के उन्नत प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी

यह वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा सहायता राशि जारी किए जाने के बाद 'Pari Passu' (समान अनुपात) के आधार पर जारी की जाएगी।

7.2. भूमि संबंधी प्रोत्साहन

अनुमोदित परियोजना लागत के प्रत्येक ₹100 करोड़ के लिए, बिहार सरकार उद्योग विभाग या बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) के माध्यम से उपलब्धता और लागू नियमों के अधीन, ₹1 की टोकन राशि पर 1 एकड़ भूमि प्रदान करेगी।

इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि BIADA की निर्धारित दर के 50% पर प्रदान की जाएगी।

7.2.1. स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क और भूमि सम्परिवर्तन से छूट

इस नीति के तहत अनुमोदित परियोजनाओं/इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क और भूमि सम्परिवर्तन (Land Conversion) से छूट बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अनुसार होगी।

शुल्क का प्रकार/छूट का विवरण/स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क से छूट	क) सरकार द्वारा IDA/BIADA को आवंटित भूमि के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा। ख) औद्योगिक भूमि/शेड के पट्टे, बिक्री या हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी।यह छूट औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाली जमीनों पर भी सभी नई इकाइयों को उपलब्ध होगी।स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की यह छूट केवल पहली बार दी जाएगी और बाद के चरणों में लागू नहीं होगी। यह प्रोत्साहन केवल नई इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा। ग) भूमि/शेड/भवनों के पट्टे (Lease) के साथ–साथ बंधक (mortgages) और गिरवीनामा (hypothecations deeds) के लिए स्टाम्प शुल्क में 100% छूट घ) इकाई द्वारा आवश्यक भूमि के क्षेत्र का पूर्ण विवरण डीपीआर (DPR) और/या बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में होना चाहिए, जो इकाई को सावधि ऋण देने वाला है।
भूमि सम्परिवर्तन शुल्क	कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए लगाए जाने वाले "भूमि सम्परिवर्तन शुल्क" या "भूमि उपयोग में परिवर्तन" शुल्क से 100% छूट

8. अनुकूलित प्रोत्साहन : वे परियोजनाएँ जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में ₹2000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाता है तथा 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाता है, राज्य में निवेश वातावरण एवं रोजगार सृजन के लिए दीर्घकालिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेंगी। ऐसी कोई भी निवेश परियोजना बीआईआईपीपी 2025 के अनुसार "अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज" की पात्र होगी।

9. नीति कार्यान्वयन और अनुश्रवण :

9.1. उद्योग विभाग, बिहार सरकार इस नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी करेगा।

9.2. बिहार सेमीकंडक्टर मिशन (BSM) :

इस नीति के अंतर्गत समग्र शासन, क्रियान्वयन, समन्वय एवं निगरानी के लिए गठित शीर्ष निकाय। बीएसएम परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा, इकाइयों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगा, अंतर–विभागीय समन्वय को सुगम बनाएगा, तथा स्वीकृत निवेशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगा। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है :

क्रम संख्या	समिति के सदस्य	पदनाम
1	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य सचिव
3	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, आईटी (IT) विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य

9.3. केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वयः

नीति के तहत, केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय की अनुमति होगी। निवेशकों को केंद्र सरकार की नीतियों के तहत प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार और मात्रा की घोषणा करनी होगी।

9.4. परियोजना मंजूरी और संवितरण का चरण :

9.4.1. क्लियरेंस–1 : इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, पात्र इकाईयों को आवेदन सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2-bihar-gov-in) पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

9.4.2 चरण–1 क्लियरेंस का अनुमोदन आमतौर पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन जमा करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर दी जाएगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) के अनुमोदन की अधिकतम समय सीमा 30 दिन होगी।

9.4.3 वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी

(क) उद्यमियों को वित्तीय मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2-bihar-gov-in) पर आवेदन जमा करना चाहिए। वित्तीय मंजूरी आमतौर पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जाएगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) के अनुमोदन की अधिकतम समय सीमा 30 दिन होगी।

(ख) नीति के क्रियान्वयन की निगरानी राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) द्वारा की जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन SIPB के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) व्याख्या/विवाद के सभी मामलों का निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसी व्याख्या/निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.4.4. वित्तीय प्रोत्साहन संवितरणः संवितरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की राशि अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

9.5. आवेदक इकाइयों की सूचना :

आवेदक इकाइयाँ व्यावसायिक उत्पादन/संचालन शुरू होने के 15 दिनों के भीतर SIPB, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को सूचित करेंगी। उद्योग विभाग उसी का सत्यापन करेगा और व्यावसायिक उत्पादन/संचालन प्रमाण पत्र जारी करेगा। व्यावसायिक उत्पादन/संचालन के बाद संवितरण के समय और आवश्यकतानुसार सत्यापन भी किया जाएगा।

9.6. कार्यान्वयन शर्तें :

- इस नीति के तहत विस्तृत नियम और शर्तें विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ परामर्श और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रकाशित किया जायेगा।
- बिहार सरकार का उद्योग विभाग इस नीति को लागू करेगा।
- इस नीति में उपयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत उन्हें सौंपा गया है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। व्याख्या/विवादों के सभी मामलों का निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।ऐसी व्याख्या/निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और नीति अवधि की वैधता तक परिचालन में रहेगी। '

9.7. नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक, समय–समय पर इस नीति और उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नीतियों के लिए जारी शर्तों, प्रक्रियाओं, निर्देशों, स्पष्टीकरणों या संशोधनों के अधीन होगा।

9.8. यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई गलत घोषणा की जाती है या यदि ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते हैं जो पात्र नहीं थी या इस नीति की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रोत्साहन की राशि ऐसे प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूली योग्य होगी। निर्धारित समय के

भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, राज्य सरकार ऐसी राशि ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी।

9.9. प्रोत्साहन या तो लागू मात्रा (quantum) के समाप्त होने पर या पात्र अवधि के पूरा होने पर, जो भी पहले हो, बंद हो जाएंगे। पात्रता अवधि के अंत में कोई भी अप्रयुक्त प्रोत्साहन समाप्त (lapse) हो जाएगा।

9.10. इस नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा का संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी होगा और मान्य होगा।

10. "बिहार बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026" पर दिनांक–29.01.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–27 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कुन्दन कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 153(H) /पटना, दिनांकः– 30/01/2026
सं0सं0–DMSME/नीति–सेमीकंडक्टर/01/2026/उद्योग

प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 153(H) /पटना, दिनांकः– 30/01/2026
सं0सं0–DMSME/नीति–सेमीकंडक्टर/01/2026/उद्योग

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 153 (H) /पटना, दिनांकः– 30/01/2026

सं0सं0–DMSME/नीति–सेमीकंडक्टर/01/2026/उद्योग

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर/उद्योग विभाग के सभी निगम एवं प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 153 (H) /पटना, दिनांकः– 30/01/2026

सं0सं0–DMSME/नीति–सेमीकंडक्टर/01/2026/उद्योग

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 153 (H) /पटना, दिनांकः– 30/01/2026

सं0सं0–DMSME/नीति–सेमीकंडक्टर/01/2026/उद्योग

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 153 (H) /पटना, दिनांकः– 30/01/2026

सं0सं0–DMSME/नीति–सेमीकंडक्टर/01/2026/उद्योग

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।